रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932
No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

सा.का.नि. 488(अ).—खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 43 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलबध करवादी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जन साधारण को तारीख 30 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।